संख्या– 88 /X–3–17–13(11)/2001

प्रेषक,

एस0 रामास्वामी,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
3. समस्त प्रभागीय वनाधिकरी, उत्तराखण्ड।
4. परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड।
5. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तराखण्ड।
6. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत उत्तराखण्ड।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–3 देहरादून : दिनांकः– 25 जनवरी, 2017

विषयः– माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित रिट पिटिशन संख्या–140/2015 ललित मिगलानी बनाम उत्तराखण्ड राज्यादि में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा Writ Petition (PIL) संख्या 140/2015 श्री ललित मिगलानी बनाम उत्तराखण्ड सरकार एवं अन्य में निम्न आदेश पारित किये गये हैंः–

It is further directed that there shall be a total ban of sale, use and storage of plastic carry bags throughout the State of Uttarakhand w.e.f. 01.01.2017. No person shall be permitted to bring carry bags in the State of Uttarakhand by any means of transport, including the bus, trains and air. The State Governemnt shall launch a special campaign to make the people aware to use paper or jute bags to save the environment.

2– उक्त के संबंध में जारी शासनादेश संख्या–48/X–3–17–13(11)/2001, दिनांक 11 जनवरी, 2017 को अतिक्रमित करते हुए निम्न आदेश पारित किये जाने का मुझे निदेश हुआ है :–

1. सम्पूर्ण प्रदेश में किसी भी प्रकार के Plastic/Thermacol से बनी थैलियों, पत्तल, ग्लास, कप, पैकिंग सामग्री इत्यादि का उपयोग, विक्रय एवं भण्डारण पर तत्काल प्रभाव से पूर्णतयः प्रतिबंधित होगा।
2. किसी भी व्यक्ति/यात्री को उत्तराखण्ड राज्य में प्लास्टिक/पॉलीथिन कैरी बैग्स/थैली किसी भी परिवहन यथा–बस, रेल, हवाई आदि माध्यम से लाना पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा।
3. इस संबंध में जनता को जागरूक किये जाने हेतु समस्त व्यवसायिक संस्थानों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, धार्मिक स्थल, होटलों, ढाबों, धर्मशालाओं, आश्रमों, गेस्ट हाउस, स्कूल व समस्त सरकारी कार्यालयों में विज्ञप्ति (प्रिन्ट/इलैक्ट्रानिक मीडिया) द्वारा, लाउड स्पीकर्स/नुक्कड़ बैठकों/नाटकों आदि द्वारा आम जनता को संदेश देकर जन सामान्य से सहयोग प्राप्त किया जायेगा।
4. उपरोक्त आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित से रू0 5000/– का अर्थ दण्ड वसूला जायेगा।
5. उपरोक्त आदेशों के अनुपालन हेतु निम्न अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार अन्तर्गत सक्षम अधिकारी नामित किये जाते हैः–
   - सम्बन्धित ग्रामीण/नगरीय क्षेत्र के उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, मजिस्ट्रेट

- सम्बन्धित नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी/ई0ओ नगर पालिका
- पुलिस विभाग के अन्तर्गत सम्बन्धित क्षेत्र के एस0एच0ओ0, सी0ओ0, पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
- वन विभाग के अन्तर्गत सम्बन्धित क्षेत्र के वनक्षेत्राधिकारी, उप प्रभागीय वनाधिकारी एवं प्रभागीय वनाधिकारी
- सम्बन्धित क्षेत्रीय परिवहन अधिकरी/उप क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी

6. सम्बन्धित रेलवे स्टेशनों एवं हवाई अड्डो में मा0 उच्च न्यायलय के आदेशों का अनुपालन रेलवे विभाग एवं नागरिक उड्डयन विभाग, भारत सरकार द्वारा किया जायेगा।

भवदीय,

(एस0 रामास्वामी)
मुख्य सचिव

संख्या एवं दिनांक–तदैव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव/सचिव शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव/सचिव ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
4. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
5. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमाँऊ, उत्तराखण्ड।
6. सचिव, नागरिक उड्यन विभाग, उत्तराखण्ड।
7. चेयरमैन, रेलवे बोर्ड, भारत सरकार।
8. महाप्रबन्धक, नार्थन रेलवे (उत्तरी क्षेत्र), रेलवे विभाग।
9. महाप्रबन्धक, नार्थ ईस्टन, रेलवे विभाग।
10. महानिदेशक, सिविल एवियेशन, भारत सरकार।
11. एयरपोर्ट मैनेजर, जोली ग्राण्ट एयरपोर्ट, देहरादून।
12. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(मीनाक्षी जोशी)
अपर सचिव

0/c